प्रेस नोट- अक्टूबर 03, 2023

निवास प्रोमोटर्स ने आवंटियों के साथ आपसी सहमति से विवाद का समाधान किया

उ.प्र. रेरा से जारी आदेशों के कार्यान्वन सुनिश्चित करने के सापेक्ष **मेसर्स निवास प्रोमोटर्स** ने एक अन्य प्रोमोटर **मेसर्स रिनाउंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड** के सहयोग से अपने 5 आवंटियों के साथ आपसी सहमति से विवाद का समाधान कर लिया है। दोनों पक्षों के मध्य हुए आपसी समाधान के अनुसार **सभी 5 आवंटियों को लगभग रुपये 62 लाख 11 हजार की धनराशि का भुगतान किया गया है। इसके अन्तर्गत सभी आवंटियों, श्री दिनेश जोशी, श्री के डी जोशी, श्री नवरतन यादव, श्री निरंजन कुमार तथा श्री नितिन मोहन, को किश्तों में, क्रमशः रुपये 11.62 लाख, 10.12 लाख, 7.98 लाख, 18.64 लाख और 13.73 लाख के पोस्ट डेटेड चेक जारी कर दिए गए थे** और इस प्रकार से सभी आवंटियों की मांग पूरी कर दी गई थी।

इस सम्बन्ध में प्रोमोटर ने आवंटियों के साथ हस्ताक्षरित एग्रीमेन्ट प्राधिकरण में जमा करके जारी आदेश अनुपालन की आख्या प्रस्तुत कर दी है और शिकायत का निस्तारण करने का अनुरोध किया है। प्रस्तुत किये गए एग्रीमेन्ट के अनुसार मेसर्स रिनाउंड बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड ने तृतीय पक्ष की भाँति मध्यस्थता करते हुए विवाद का समाधान कराने में सहयोग किया है। ज्ञातव्य है कि उ.प्र. रेरा ने निवास प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज शिकायतों में सुनवाई करते हुए आवंटियों को तय समय में इकाई का कब्ज़ा या जमा धनराशि विलम्ब अवधि के ब्याज सहित वापस करने का आदेश जारी किया था।

प्रोमोटर द्वारा ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर- 10 में स्थित आवासीय परियोजना, **वन लीफ ट्रॉय**, विकसित की जानी थी लेकिन परियोजना में कई वर्षों से निर्माण व विकास कार्य बन्द पड़ा है। प्रोमोटर द्वारा आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर आवंटियों ने पोर्टल पर आदेश अनुपालन कराने का अनुरोध दर्ज किया था। इसके उपरान्त अग्रिम प्रक्रिया के तहत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण ने सुनवाई की थी और आवंटियों को रिफण्ड दिलाने के उद्देश्य से कई मामलों में वसूली प्रमाण पत्र भी जारी किया था। **इसके पहले भी प्रोमोटर ने अपनी इसी परियोजना के आवंटियों की मांग का समाधान करते हुए लगभग रुपये 1.50 करोड़ का भुगतान किया था।**

Nivas Promoter settled disputes with its allottes by mutual settlement

Ensuring the compliance or the orders issued by U.P. RERA in the matters of M/s Nivas Promoters Pvt. Ltd., the promoter has resolved the dispute with its allottees by mutual settlement in collaboration of M/s Renowned Buildtech Pvt. Ltd. As per the mutual settlement between promoters and allottees, an amount of Rs. 62 lakh 11 thousand have been paid to all allottees to withdraw their matters. Mr. Dinesh Joshi, Mr. K D Joshi, Mr. Navratan Yadav, Mr. Niranjan Kumar and Mr. Nitin Mohan have received post dated cheques of Rs. 11.62 lakh, Rs. 10.12 lakh, Rs. 7.98 lakh, Rs. 18.64 lakh and Rs. 13.73 lakh respectively in multiple installments.

In this regard, after submitting the agreement signed with the allottees to the Regulatory Authority, the promoter has requested to dispose the complaints. As per the presented agreement, M/s Renowned Buildtech Pvt Ltd has cooperated in the settlement of the dispute by mediating as a third party. It is known that while hearing the complaints filed against Nivas Promoters, U.P. RERA had issued an order to give the possession of the unit to the allottees within the stipulated time or return the deposited amount along with the interest for the delay period.

The residential project of the promoter, One Leaf Troy, is located in Sector 10 of Greater Noida West but the construction and development work in the project has stuck for many years. When the promoter did not comply with the order, the allottees had filed Order Execution Requests on the portal. After this, taking next course of action as provisions under the RERA Act, the Authority held a hearing and issued recovery certificates for the purpose of ensuring refunds to the allottees. Earlier also, both promoters have resolved demands of various allotttes and paid Rs. 1.50 Cr. to settle the dispute related to the same project.